3

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **अब्दुल कयूम बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर )**<br><br>सू.अ.अ. अपील संख्या 03/2023 | |
| **16-01-2023** | अपीलार्थी अब्दुल कयूम शेरानी, पता 37, सकीना कॉलानी, गीता भवर के पीछे, सिंवाचीगेट, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 18. 11.2022 में (1) अब्दुल कयूम शेरानी के नाम से मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ, कलक्टर कार्यालय जोधपुर में समस्त प्रकरणों की सूची व समस्त प्रकरणों में संबंधित विभाग द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर की प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से जरिये पत्रांक 25 दिनांक 11.01..2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना अपर जिला कलक्टर द्वितीय एवं प्रभारी अधिकारी, मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 2508 दिनांक 27.12.22 द्वारा कुल 140 पृष्ठों की सूचना निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है।<br>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |